राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर
National Institute of Technology Jamshedpur
An Institution of National Importance under MHRD, Govt of India
डॉ० संजय कुमार
अध्यक्ष (सुरक्षा कार्य)
दूरभाष - 9431348965
ईमेल पता - sanjay.cse@nitjasr.ac.in
SECURITY CONTROL UNIT

Ref. No. : NIT JSR/SCU/2021/

दिनांक :13 सितम्बर 2021

सूचना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में सुबह टहलने एवं व्यायाम/ वर्जिस करने के आदेश

1. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में 24 x 7 छात्रों, शिक्षकों द्वारा शिक्षण, शोध का काम चलता रहता है। संस्थान में चारदीवारी का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है और लगभग 20% बाकी है। हाईकोर्ट में केस होने के कारण चारदीवारी पूर्ण होने में समय लग रहा है। जब तक संस्थान में चारदीवारी एवं रिंग रोड़ का काम पूरा नहीं होता है तब तक टहलने एवं व्यायाम/ वर्जीस करने का आदेश जारी किया जाता है।

2. संस्थान में टहलने के लिए सिर्फ मेन रोड जो कि संस्थान के गेट न० -1 से आई हॉस्टल/ के हॉस्टल तक का प्रयोग करना है। अन्य मार्ग टहलने के लिए प्रतिबंधित है।

3. व्यायाम / वर्जीस करने के लिए आई हॉस्टल के पीछे वाला मैदान का उपयोग किया जाय।

4. संस्थान का कार्य सुबह आठ बजे से शाम छः बजे तक चलता है, अतः टहलने की अवधि सिर्फ 05:00 बजे सुबह से 07:00 बजे सुबह तक दी जाती है ताकि संस्थान के कार्यों में कोई बाधा ना आए।

5. टहलने और व्यायाम करने के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है :

(क) टहलने एवं व्यायाम के लिए बिना मॉस्क प्रवेश वर्जित है।

(ख) टहलने और व्यायाम के दौरान COVID-19 के नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है। COVID-19 का उल्लंघन करने पर कारवाई की जाएगी।

(ग) टहलने और व्यायाम के लिए संस्थान द्वारा पास निर्गत किया जाएगा जिसे निबंधन के बाद प्राप्त किया जा सकता है।

(घ) प्रत्येक फार्म/ आवेदन की पंजीकरण शुल्क 25/- रुपए होगी जिसे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ) पास प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ, आवासीय पहचान पत्र (Address Proof) और दो पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा।

(च) कार्ड को टहलते वक्त साथ में रखना अनिवार्य हैं। गार्ड या किसी अधिकारी द्वारा पूछने पर पास दिखाना होगा।

(छ) किसी भी हालत में आवासीय परिसर एवं शैक्षाणिक परिसर में प्रवेश पूर्णत: वर्जित है।

(ज) संस्थान के गार्ड एवं कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा उनको उनके ड्यूटी में सहयोग प्रदान करना होगा।

(झ) संस्थान में कुत्ता घुमाना पूर्णत: वर्जित है।

(ञ) संस्थान में बाहर के लोगों को बॉस्केटबाल / बैडमिन्टन कोर्ट आदि का उपयोग पूर्णत: मना है।

(ट) टहलने का बहाना बनाकर कूड़ा – करकट खासकर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेकना मना है। पकड़े जाने पर सख्त कारवाई की जाएगी।

(ठ) संस्थान में लगे फूल पत्तियों को तोड़ना सख्त मना है।

(ड) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर परिसर के अन्दर नशा करना, अड्डाबाजी करना, खुले में शौच करना पूर्णत: वर्जित है। पकड़े जाने पर सख्त कारवाई की जाएगी।

(ढ) संस्थान में भैस लाकर छोड़ना दण्डनीय अपराध है।

(ण) संस्थान से मिट्टी काटना/लेकर जाना सख्त मना है।

(त) संस्थान में दो पहिया और चार पहिया वाहन सीखना और सिखाना मना है।

6. अगर नियम तोड़ते हुए पाए गाए, तो यह सुविधा वापस ले ली जाएगी।

7. छात्रों के लिए संस्थान खुलने के बाद यह सुविधा स्वत: समाप्त हो जाएगी।

13/9/2021

(संजय कुमार)
अध्यक्ष (सुरक्षा कार्य)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक
2. कुल सचिव
3. संकायाध्यक्ष
4. विभागाध्यक्ष
5. प्राध्यापक प्रभारी (वेबसाईट) - नोटिस अपलोड करने के लिए अनुरोध

पंजीकरण प्रपत्र : सुबह टहलने एवं व्यायाम / वर्जिस करने के लिए

पासपोर्ट साइज फोटो

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. व्यवसाय : ....
4. एन.आई.टी. कर्मचारी/ बाहरी: ....
5. सेवानिवृत तिथि (NIT Ex-Employee):...............................
6. जन्म तिथि / उम्र : ....
7. लिंग : पुरुष / महिला
8. आधार न० / वोटर न०/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड न० :................
9. मोबाईल न० :...
10. पता : ....

    ....

- *संस्थान में टहलने के लिए सिर्फ मेन रोड जो कि संस्थान के गेट न० -1 से आई. हॉस्टल/ के. हॉस्टल तक का प्रयोग करना है। अन्य मार्ग टहलने के लिए प्रतिबंधित है।*
- *संस्थान का कार्य सुबह आठ बजे से शाम छः बजे तक चलता है, अतः टहलने की अवधि सिर्फ 05:00 बजे सुबह से 07:00 बजे सुबह तक दी जाती है ताकि संस्थान के कार्यों में कोई बाधा ना आए।*
- *टहलने और व्यायाम करने के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है :-*
    - *टहलने एवं व्यायाम के लिए बिना मॉस्क प्रवेश वर्जित है।*
    - *टहलने और व्यायाम के दौरान COVID-19 के नियमों का पालन नितान्त आवश्यक है। COVID-19 का उल्लंघन करने पर कारवाई की जाएगी।*
    - *टहलने और व्यायाम के लिए संस्थान द्वारा पास निर्गत किया जाएगा जिसे निबंधन के बाद प्राप्त किया जा सकता है।*
    - *प्रत्येक फार्म/ आवेदन की पंजीकरण शुल्क 25/- रुपए होगी जिसे सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से प्राप्त किया जा सकता है।*
    - *पास प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ, आवासीय पहचान पत्र (Address Proof) और दो पासपोर्ट साइज का फोटो देना होगा।*
    - *कार्ड को टहलते वक्त साथ में रखना अनिवार्य है। गार्ड या किसी अधिकारी द्वारा पूछने पर पास दिखाना होगा।*
    - *किसी भी हालत में आवासीय परिसर एवं शैक्षणिक परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।*
    - *संस्थान के गार्ड एवं कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा उनको उनके ड्यूटी में सहयोग प्रदान करना होगा।*
    - *संस्थान में कुत्ता घुमाना पूर्णतः वर्जित है।*
    - *संस्थान में बाहर के लोगों को बॉस्केटबाल / बैडमिन्टन कोर्ट आदि का उपयोग पूर्णतः मना है।*
    - *टहलने का बहाना बनाकर कूड़ा – करकट खासकर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेकना मना है। पकड़े जाने पर सक्त कारवाई की जाएगी।*
    - *संस्थान में लगे फूल पत्तियों को तोड़ना सक्त मना है।*
    - *राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर परिसर के अन्दर नशा करना, अड्डाबाजी करना, खुले में शौच करना पूर्णतः वर्जित है। पकड़े जाने पर सक्त कारवाई की जाएगी।*
    - *संस्थान से मिट्टी काटना/लेकर जाना सक्त मना है।*
    - *संस्थान में दो पहिया और चार पहिया वाहन सीखना और सिखाना मना है।*
- *अगर नियम तोड़ते हुए पाए गए, तो यह सुविधा वापस ले ली जाएगी।*
- *छात्रों के लिए संस्थान खुलने के बाद यह सुविधा स्वतः समाप्त हो जाएगी।*

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं एन.आई.टी. जमशेदपुर के नियमों और विनियमों का पालन करूंगा, ऐसा नहीं करने पर मुझे एन.आई.टी. परिसर में टहलने और व्यायाम/वर्जिस करने की सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा और मेरा पास रद्द कर दिया जाएगा।

दिनांक : (आवेदक के हस्ताक्षर)

संलग्नक : 1. आवासीय पहचान पत्र।
2. पंजीकरण शुल्क 25/- रुपए।
3. पासपोर्ट आकार के फोटो की 02 प्रतियां।